ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-11* December- 2020
Innovation The Research Concept

अम्बेडकर और महिला सशक्तिकरण

Ambedkar and Women Empowerment

Paper Submission: 15/12/2020, Date of Acceptance: 26/12/2020, Date of Publication: 27/12/2020

लाजपत राय
सहायक प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान विभाग,
सत्यवती महाविद्यालय,
नई दिल्ली, भारत

सारांश

अंबेडकर को अमूमन दलितों के मसीहा के तौर पर पेश किया जाता है लेकिन वे जितने जाति प्रथा के विरोधी थे उतने ही महिलाओं की उन्नति के प्रबल पक्षधर भी थे। उनका मानना था कि किसी भी समाज की स्थिति को इस बात से जाना जा सकता है कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है? वैदिक काल में यद्यपि महिलाओं की अच्छी स्थिति के उदाहरण मिलते हैं लेकिन कालांतर में इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है जिसमें महिलाओं की दयनीय होती स्थिति देखी जा सकती है जिसके उदाहरण के तौर पर शैक्षिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी पर प्रतिबंध को देख सकते हैं। स्वाधीन भारत के प्रथम विधिमंत्री के रूप में अंबेडकर ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए। महिलाओं को अधिकार देने तथा उन्हें सबल बनाने के लिए उन्होंने सन 1951 में संसद में 'हिंदू कोड बिल' प्रस्तुत किया। अंबेडकर का मानना था कि लोकतंत्र अपने वास्तविक अर्थों में तभी आयेगा जब महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा और उन्हें पुरूषों के समान अधिकार दिए जाएंगे। उनका मानना था कि महिलाओं का उत्थान तभी संभव है जब उन्हें घर, परिवार और समाज में पुरुषों के समकक्ष सामाजिक बराबरी का दर्जा मिले। उपर्युक्त शोध आलेख अंबेडकर के इन्हीं महिला हित से संबंधित विचारों पर आधारित है।

Ambedkar is usually portrayed as the messiah of Dalits, but he was also a strong advocate for the advancement of women as opposed to the caste system. He believed that the status of any society can be known from what is the status of women in that society? While examples of women's good status are found in the Vedic period, there is a change over time, in which the pathetic condition of women can be seen, for example one can see the ban on their participation in the educational field. As the first legislator of independent India, Ambedkar took many steps for women's empowerment. In order to empower women and empower them, they introduced the 'Hindu Code Bill' in the Parliament in 1951. Ambedkar believed that democracy would come to its true meaning only when women would get an equal share in ancestral property and would be given equal rights as men. He believed that the upliftment of women is possible only when they get equal social status in the household, family and society at par with men. The above research article is based on Ambedkar's ideas related to these female interests.

मुख्य शब्द : अम्बेडकर, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय।

प्रस्तावना

ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था जिसके लिए उमा चक्रवर्ती 'जाति समाज में पितृसत्ता' जैसी पुस्तक लिखती हैं और भारतीय समाज में व्याप्त परंपरागत रूढ़िगत धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएँ जो महिलाओं को पुरुषों के अधीन बनाए रखने की बात करती हैं, ऐसी व्यवस्थाओं के समूल नाश लिए अंबेडकर महाड़ आंदोलन प्रारम्भ कर स्त्री अधिकारों के महानायक बनकर उभरते हैं। महिला सरोकारों के प्रति अम्बेडकर का प्रयास किसी पाश्चात्य नरीवादी विचारकों से कम नहीं था।

शोध का उद्देश्य

सामाजिक न्याय, सामाजिक पहचान, समान अवसर और संवैधानिक स्वतंत्रता के रूप में महिला सशक्तिकरण के लिए अंबेडकर का योगदान अतुलनीय है। उपर्युक्त शोध आलेख उनके इन्हीं योगदान के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने का सूक्ष्म प्रयास है।

शोध आलेख के मुख्य बिंदु

आजकल अम्बेडकर फिर से चर्चा में है उनकी 125 वीं जन्म जयन्ती के अवसर पर भाजपा और कांग्रेस दोनों बड़े दल अपने–अपने स्तर पर उनको अपना बनाने की होड़ में लगे हुए है। आर.एस.एस. ने तो अम्बेडकर पर पांचजन्य का एक विशेष अंक भी प्रकाशित कर दिया है! ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि क्या अम्बेडकर को हम सब अपना–अपना व्यक्ति घोषित करना चाहते है। क्या अम्बेडकर को आज याद करके राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति कर रहे है? क्या अम्बेडकर की जन्म जयन्ती केवल दलितों को ही मनानी चाहिए? क्योंकि उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था और उनकी पहचान हम सब ने केवल एक दलित नेता की बना दी है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चल जाता है कि अम्बेडकर का एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व रहा है तथा उन्होंने अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व की पहचान हमेशा बनाए रखी। यह भी सत्य है कि भारत में वोट बैंक की राजनीति के लिए केवल एक या दो दल नहीं वरन् लगभग सभी दल रेस लगाए रखते है।

यह भी दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक भी पूरे भारतीय समाज ने उन्हें अपना नेता भी स्वीकार नहीं किया है तथा वे केवल उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते हैं जिसने दलितों को प्रगति के मार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए, उनकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए उन्हें कानूनी समानता दिलाने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया।

जब अम्बेडकर के लेखन और कार्यों का गहन अध्ययन किया जाता है तो यह सुखद जानकारी मिलती है कि उन्होंने शायद ही कोई ऐसा विषय हो जिस पर ना लिखा हो।

इस लेख में अम्बेडकर के व्यक्तित्व के उस आयाम का उल्लेख करने का प्रयास कर रहा हूँ जिस पर ज्यादा चिन्तन या उस आयाम हेतु अम्बेडकर द्वारा किये गये कार्यों का उल्लेख सामान्यता ज्यादा सुनने, देखने, पढ़ने को नहीं मिलता और वह है भारतीय नारी का सशक्तिकरण या उत्थान। अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में अनेको बार असमानता और अपमान का सामना किया था साथ ही उन्होंने यह भी पाया कि भारतीय नारी भी हजारों साल से असमानता का सामना कर रही है। अम्बेडकर ने भारतीय समाज में फैली असमानता के ऐतिहासिक कारणों की खोज हेतु शोध करके यह पाया कि उस असमानता का कारण चाहे वो जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर उसकी जड़े प्राचीन हिन्दू धार्मिक ग्रन्थों पर आधारित है। अम्बेडकर ने उसी शोध के दौरान मनु स्मृति को उस असमानता को कायम रखने का सबसे बड़ा कारण माना। उन्होंने मनु स्मृति के उन श्लोकों का वर्णन अपने लेख में किया है। ''स्त्रियाँ उनके परिवार के पुरुषों द्वारा दिन रात अधीन रखी जानि चाहिए और यदि वे अपने को विषयों में आस्कत करे तो उन्हें अपने नियन्त्रण में अवश्य रखे।

स्त्री को बचपन में अपने पिता, युवा अवस्था में अपने पति और जब उसका पति दिवंगत हो जाये तब अपने पुत्रों के अधीन रहना चाहिए, स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए।

स्त्रियों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए उनके संस्कार वेद मन्त्रों के बिना किये जाते है। स्त्रियों को वेद जानने का अधिकार नहीं है इसलिए उन्हें धर्म का कोई ज्ञान नहीं होता। पाप दूर करने के लिए वेद मन्त्रों का पाठ उपयोगी है। चूँकि स्त्रियाँ वेद मन्त्रों का पाठ नहीं कर सकती वे उसी प्रकार अपवित्र है जिस प्रकार असत्य अपवित्र होता है।

चाहे पति सदाचार से हीन हो या वह अन्य में आस्कत हो या वह सद्गुणों से हीन हो तो भी पतिव्रता स्त्री के द्वारा पति देवता के समान पूजित होता है।

अम्बेडकर ने अपने लेख में यह स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार मनु ने भारतीय नारी की प्रगति के मार्ग अवरुद्ध करके उन्हें असमानता का श्राप भोगने को बाध्य होना पड़ा।

अम्बेडकर अपने लेख में यह स्पष्ट करना नहीं भूले कि मनु से पूर्व के समय में भारतीय नारी को समाज में सम्मान प्राप्त था वे अपने लेख में बताते हैं कि मनु के समय से पूर्व नारी कि जो स्थिति थी उससे उसकी तुलना तो कीजिये अथर्ववेद से स्पष्ट है कि नारी को अपने उपनयन का अधिकार प्राप्त था। श्रोत सूत्र से यह स्पष्ट है कि नारी वेद मन्त्रों का पाठ कर सकती थी वेदों का अध्ययन करने के लिए शिक्षा दी जाती थी। पाणिनी की अष्टाध्यायी से इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि नारियों गुरुकुलों में जाती थी और वेदों की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करती थीं और वे मीमांसा में प्रवीण होती थी।

पतंजलि के महाभाष्य का कहना है कि नारियां शिक्षक होती थीं और बालिकाओं को वेदों का अध्ययन कराती थीं। धर्म, अध्यात्म और तत्व मीमांसा के कठिन से कठिन विषय पर पुरुषों के साथ नारियों के शास्त्रार्थ करने का प्रसंग भी कम नहीं मिलेंगे। जनक और सुलभ, याग्वल्क्य और गार्गी, याग्वल्क्य और मैत्रेयी तथा शंकराचार्य और विध्याधारी के बीच शास्त्रार्थ की घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि मनु के पूर्व नारियों शिक्षा और ज्ञान के उच्च शिखर पर पहुँच चुकी थीं।

मनु के विपरीत कौटिल्य एक विवाह प्रथा की व्यवस्था करता है, पुरुष कुछ ही परिस्थितियों में दूसरा विवाह कर सकता है। मनु के विपरीत कौटिल्य के युग में नारी अपने पति के साथ परस्पर वैर और नफरत होने के कारण विवाह सम्बन्ध तोड़ सकती थी। कौटिल्य के समय में किसी नारी अथवा विधवा के पुनर्विवाह पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था।

लेख के अन्त में अम्बेडकर यह प्रश्न उठाते है कि मनु से पहले नारी स्वतन्त्र थी और पुरुष की समान भागीदार थी मनु ने उसे पदावनत क्यों किया।

अम्बेडकर के इस लेख को उन लोगों को अवश्य पढ़ना चाहिए जो यह मानते हैं कि अम्बेडकर ने हिन्दू धर्म की हमेशा केवल आलोचना ही की है। अम्बेडकर ने स्त्रियों के सन्दर्भ में मनु को जिम्मेदार ठहराया है तथा बाकि अन्य हिन्दू धर्म के अलग–अलग समय के महापुरुषों की प्रशंसा भी एक प्रकार से की है

उदाहरण के लिए जब वे यह लिखते हैं कि कौटिल्य के समय में नारियों की स्थिति उन्नत अवस्था में थी तो ऐसे में वे हिन्दू धर्म के उस समय की मनु के समय से प्रशंसा ही करते हैं।

अब हम लेख के मूल शीर्षक की और आते हैं ''अम्बेडकर और महिला सशक्तिकरण''। अम्बेडकर द्वारा महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण हेतु किये गये कार्यों को जानने से पहले उनके महिलाओं पर इस कथन पर नजर डालना उचित रहेगा। ''माता–पिता अपनी सन्तान के केवल जन्मदाता है, वे उसके भाग्यदाता नहीं है। इस देवी विधान को हमें तिलांजलि देनी होगी। हमें अपने मन में पक्की गाठ बाँध लेनी चाहिए कि सन्तान का भविष्य माता–पिता के हाथ में है। बेटों के समान ही अपनी बेटियों को भी लिखाया पढ़ाया जाये तो हमारा विकास तेज गति से हो सकता है। यह निश्चित है।'' इन विचारों से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि अम्बेडकर महिला समानता के कितने बड़े समर्थक थे।

अम्बेडकर ने मुम्बई राज्य की असेंबली में 21 फरवरी, 1928 को भाग लिया और कर्मचारी महिलाओं को, उनके प्रसव काल में अवकाश दिलाने के बारे में जो बिल प्रस्तुत किया गया था उसका उन्होंने जोरदार समर्थन किया। उन्होंने कहा ''देश की इन माताओं को इस काल की निश्चित अवधि में विश्राम मिलना ही चाहिए तथा शासन अथवा मालिकों को इन महिलाओं का खर्च उठाना चाहिए।''

यह बड़ी खुशी की बात है कि वर्तमान समय में ये कानून लागु हो चुके हैं परन्तु क्या कभी किसी ने यह बताने या लिखने का प्रयास किया कि अम्बेडकर द्वारा एक ऐसे समय में जब महिलाओं की शिक्षा पर ही प्रश्न चिन्ह लगते थे ऐसे समय में नौकरी तथा प्रसूति अवकाश की बात करना कितनी बड़ी बात रही होगी।

अम्बेडकर जब भी अवसर मिलता था तो वे महिलाओं को प्रगति हेतु प्रेरित करना नहीं भूलते थे। जुलाई 1942 में नागपुर में अखिल भारतीय दलित फेडरेशन का अधिवेशन चल रहा था इसमें लगभग पचहत्तर हजार लोग उपस्थित थे जिसमें पच्चीस हजार से अधिक महिलाएं थी उन्हें संबोधित करते हुए अम्बेडकर ने अपने भाषण में कहा ''मैं स्त्री समाज की प्रगति पर ही दलित समाज की प्रगति का मापदण्ड रखता हूँ। महिलाओं का संगठन आवश्यक है। बेटियों को पढ़ाइए, उनके मन में महत्वकांक्षाए पैदा होने दीजिये, उनकी शादी जल्द करने की कोशिश मत कीजिए।'' हमारे देश में जहाँ जब भी भूर्ण हत्याएं होती हैं ऐसे में अम्बेडकर के विचार कितने क्रान्तिकारी और महिला समानता के कितने बड़े समर्थक थे आसानी से अन्दाजा लगाया जा सकता है। अम्बेडकर ने अन्तरजातीय विवाह का समर्थन किया था तथा इसे उन्होंने खुद पर भी लागु किया। पहली पत्नी के देहान्त के अनेक वर्षों बाद उन्होंने डॉक्टर शारदा कबीर से विवाह किया जो ब्राह्मण थी। अर्थात् जब यह आलोचना होती हो की अम्बेडकर ब्राह्मण विरोधी थे। ऐसे में एक ब्राह्मण महिला से विवाह करके उन्होंने यह साबित कर दिया कि वे ब्राह्मणवाद के खिलाफ है ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं।

भारत में आजकल कभी–कभी देवदासियों का उल्लेख भी समाचार पत्रों में आ रहा है की कैसे उन्हें अब धीरे–धीरे कुछ छोटे–छोटे खुशी के माहौल देने का प्रयास किया जा रहा है जैसे काशी या मथुरा से अन्य स्थानों की यात्रा या उनके द्वारा होली खेलना। परन्तु अम्बेडकर देवदासियों की सिर्फ बात करके खामोश नहीं रहे बल्कि उन्होंने उन्हें इससे बाहर आने की प्रेरणा भी दी तथा जिन्होंने उनकी राय मानी उन्होंने उनका विवाह भी करवा दिया।

आइये अब उनके उस प्रयास की ओर चलते हैं जिसमें उन्होंने भारतीय हिन्दू नारी को वास्तविक और कानूनी समानता दिलाने का प्रयत्न किया। अक्टूबर 1948 में संविधान सभा में हिन्दू कोड बिल प्रस्तुत किया। दिसंबर 1950 तक इस बिल के बारे में कोई प्रगति नहीं हुई थी। 17 सितम्बर 1951 को जब बिल दुबारा चर्चा के लिए लाया गया तो इसमें अड़चनें डाली गई कुमारी जयश्री नामक संसद सदस्या ने तथा डॉक्टर कुंजरू ने बिल का जोरदार समर्थन किया।

बिल पर चर्चा लम्बी खिचती चली जा रही थी अम्बेडकर ने बहुत दुखी होकर कहा, ''संसद के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक–एक अनुच्छेद पर सात–सात दिन चर्चा चलती रहे।''

जब अम्बेडकर को लगा कि उनके साथ विश्वासघात किया गया है। 27 सितम्बर 1951 को उन्होंने मन्त्री पद से मुक्त होने के लिए त्याग पत्र नेहरू जी को भेज दिया। आज जब मन्त्री पद की सुविधा का लाभ छोड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं दिखता ऐसे में अम्बेडकर एक उदाहरण है जिन्होंने अपने मन की आवाज सुनी और त्याग पत्र दे दिया। आज जितने भी अधिकार महिलाओं को मिले हुए हैं उसमें अम्बेडकर के अथक प्रयास प्रशंसनीय है। परन्तु यह दुःख की बात है कि आज के महिला आन्दोलन के विमर्श में अम्बेडकर के महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु किये गये प्रयासों का वर्णन भी नहीं आता। आशा है देर से ही सही उनके प्रयासों को उचित स्थान दिया जायेगा।

निष्कर्ष

इस तरह निष्कर्ष के तौर पर हम देखते हैं कि अंबेडकर न केवल जाति प्रथा के उन्मूलन के हिमायती के तौर केवल दलितों के मसीहा थे वरन समाज में लैंगिक आधार पर व्याप्त विभिन्न रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करने की वकालत के साथ वे महिला अधिकारों के भी प्रबल हिमायती थे। उनके इन कार्यों के प्रमाण के तौर पर हम हिंदू कोड बिल हेतु उनके अथक प्रयास, महाड़ आंदोलन आदि कार्यों को देख चुके हैं। जिस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वे महज दलितों के ही मसीहा नहीं वरन सभी शोषित व वंचित समूह के अधिकारों के लिए प्रयासरत थे और इस हेतु महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए प्रयास आज भी अतुलनीय है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय खंड–1 दूसरा संस्करण (डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, दिल्ली, अप्रैल 1998), पृ. सं. 331–333*

2. *वही, उपरोक्त वर्णित पृ. सं. 334*
3. *वही, उपरोक्त वर्णित पृ. सं. 334*
4. *वही, उपरोक्त वर्णित पृ. सं. 336*
5. *वही, उपरोक्त वर्णित पृ. सं. 339*
6. *डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर, वसंत मून (नेशनल बुक ट्रस्ट, दिल्ली, 1991) पृ. सं. 9*
7. *वही, उपरोक्त वर्णित पृ. सं. 49*
8. *वही, उपरोक्त वर्णित पृ. सं. 142*
9. *वही, उपरोक्त वर्णित पृ. सं. 217*
10. *वही, उपरोक्त वर्णित पृ. सं. 192*
11. *वही, उपरोक्त वर्णित पृ. सं. 192*